राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 703/2011/उदयपुर.

मैसर्स आर. सी. कन्स्ट्रक्शन, उदयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री श्याम बोकाड़िया, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 26/6/2014

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 107/VAT/2009–10 में पारित किये गये आदेश दिनांक 29.12.2010 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से अपीलार्थी द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के अधिनियम की धारा 24, 55 व 58 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 24.3.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील को अस्वीकार किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी के कर निर्धारण वर्ष 2006–07 के कर निर्धारण में कर निर्धारण अधिकारी ने कार्य संविदा प्राप्तियां रूपये 20,73,011/– में क्रमशः 4 प्रतिशत व 12.5 प्रतिशत से कर योग्य माल रूपये 2,20,000/– व 4,47,975/– प्रयुक्त होना तथा अपंजीकृत व्यवहारियों से खरीद रूपये 50,000/– मानकर अतिरिक्त करारोपण रूपये 66,797/– किया है, जिनमें अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 3(2) के तहत पंजीकृत व्यवहारियों से खरीद रूपये 3,07,250/– को अस्वीकार किया और धारा 58 के तहत रूपये 13,964/– शास्ति भी आरोपित की गई थी। अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील को अपीलीय अधिकारी ने अस्वीकार किये जाने के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

लगातार.....2

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने अपील अस्वीकार कर विधिक भूल की है। उनका कथन है कि अपीलार्थी ने राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों यद्यपि अधिनियम की धारा 3(2) के तहत पंजीकृत से खरीद पर पुनः करारोपण किया है, जो कि अधिनियम की भावना के विरूद्ध है, संविदा कार्य में राज्य में पंजीकृत व्यवहारियों से क्रय किये गये माल पर पुनः आरोपण नहीं किया जा सकता।

यह भी कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित की, जिसकी अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किया जाना अविधिक है।

उक्त आधारों पर अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधिनियम की धारा 3(2) के तहत पंजीकृत व्यवहारी अधिनियम के तहत पंजीकृत व्यवहारियों को माल विक्रय हेतु अधिकृत नहीं होते हैं, बल्कि अधिनियम के अनुसार वैट इन्वॉयस से खरीदे माल पर चुकाये गये वैट का आई.टी.सी. स्वीकार योग्य होता है।

अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी ठेकेदार वार्षिक विवरण पत्र प्रस्तुत करने का दायी है, इसलिए विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं होने पर धारा 58 के तहत आरोपण शास्ति की पुष्टि कर अपीलीय अधिकारी ने कोई त्रुटि नहीं की है।

अतः अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यानुसार अपीलार्थी पर अपंजीकृत व्यवहारियों से खरीदे माल कीमतन रूपये 50,000/– के विषय में अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्वीकृति अंकित की गई है। इस आधार पर विद्वान अभिभाषक द्वारा इस बिन्दु पर जोर नहीं दिया गया। अपीलार्थी ने आलौच्य अवधि में रूपये 3,07,250/– की खरीद उन व्यवहारियों से की है, जो कि अधिनियम की धारा 3(2) के तहत पंजीकृत है। उनके द्वारा वेट इन्वॉयस जारी नहीं किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि धारा 3(2) के तहत पंजीकृत व्यवहारी के द्वारा टर्नओवर पर अधिसूचित दर से वैकल्पिक रूप से कर राशि जमा कराई जाती है। इन इन्वॉयसेज के आधार पर अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत आई.टी.सी. का समायोजन नहीं दिया जा सकता। धारा 3(2) के व्यवहारी राज्य के भीतर से माल क्रय कर राज्य के भीतर विक्रय कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी ने इस बिन्दु पर अपील अस्वीकार कर कोई विधिक भूल नहीं की है। अतः इस बिन्दु पर अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

लगातार.....3

जहां तक अधिनियम की धारा 58 के तहत विवरण पत्र देरी/या नहीं प्रस्तुत करने का प्रश्न है, शास्ति आरोपण से पूर्व अपीलार्थी को विवरण पत्र देरी से प्रस्तुत करने का कारण पूछा जाना आवश्यक है। कर बोर्ड का यह निरन्तर मत रहा है कि धारा 58 के तहत शास्ति बिना सुनवाई नोटिस आरोपित नहीं की जा सकती। अतः इस बिन्दु पर अपील स्वीकार की जाती है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
26/6/14